संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
भारतीय डाक विभाग
कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल
राजस्थान परिमण्डल, सरदार पटेल मार्ग
सी-स्कीम, जयपुर-302007

(क्रमांक : भर्ती/1-41/GDS/2015 दिनांक 20.07.2015)

(अनुबन्ध-अधिसूचना)

राजस्थान डाक परिमण्डल में डाकघरों एवं रेल डाक सेवा कार्यालयों में ग्रामीण डाक सेवक पदों पर अनुबन्ध हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान डाक परिमण्डल में डाकघरों तथा रेल डाक सेवा कार्यालयों में सीधी भर्ती नियम, 2015 के अन्तर्गत ग्रामीण डाक सेवक पदों पर अनुबन्ध के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 22.07.2015 से दिनांक 21.08.2015 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ग्रामीण डाक सेवक पद के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणियाँ सम्मिलित हैं :-

अ. ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल (GDS BPM)
ब. ग्रामीण डाक सेवक डाक वितरक (GDS MD)
स. ग्रामीण डाक सेवक डाक वाहक (GDS MC)
द. ग्रामीण डाक सेवक डाक पैकर (GDS Packer)
य. ग्रामीण डाक सेवक स्टाम्प-वैन्डर (GDS Stamp Vendor)
र. ग्रामीण डाक सेवक मैल-मैन (GDS MM)

2. डाकघरों व रेल डाक सेवा कार्यालयों में ग्रामीण डाक सेवक पद के अन्तर्गत श्रेणीवार रिक्तियों की जानकारी वेबसाईट **www.rajpostexam.com** पर उपलब्ध **"VACANCIES"** शीर्षक वाले लिंक से प्राप्त की जा सकती है। **रिक्तियों की संख्या में बिना किसी पूर्वसूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।**

2.1 पदों की रिक्तियों के अन्तर्गत PH-I का तात्पर्य दृष्टि विकलांग, PH-II का तात्पर्य श्रव्य विकलांग तथा PH-III का तात्पर्य अस्थि विकलांगता से है।

2.2 शारिरिक विकलांगता (PH) की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत निम्नलिखित आवेदक रियायत के पात्र माने जायेंगे :-

अ. दृष्टि विकलांग (PH-I) :- इस श्रेणी के अंतर्गत अल्प-दृष्टि दोष (Low Vision) से युक्त आवेदक पात्र माने जायेंगे।

ब. श्रव्य विकलांग (PH-II) :- इस श्रेणी के अंतर्गत वे आवेदक पात्र माने जायेंगे, जो बधिर हों अथवा जिनका श्रवण-तंत्र निष्क्रिय हो।

स. अस्थि विकलांग (PH-III) :- इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो न्यूनतम 40% विकलांगता से त्रस्त हों तथा यह विकलांगता उनकी अस्थियों, मांसपेशियों एवं जोड़ों की सामान्य क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न करती हो। निम्नलिखित आवेदक इस श्रेणी के अन्तर्गत पात्र माने जायेंगे :-

- एक भुजा से विकलांग
- एक पैर से विकलांग
- एक भुजा एवं एक पैर से विकलांग
- मांसपेशियों में दुर्बलता

3.क शैक्षणिक योग्यता :- किसी भी मान्यता-प्राप्त शिक्षा बोर्ड संस्था द्वारा न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के पात्र माने जायेंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी कम्प्यूटर प्रशिक्षित होना चाहिए। इस हेतु अभ्यर्थी को :-

अ. किसी मान्यताप्राप्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्था द्वारा जारी बेसिक कम्प्यूटर शिक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसकी अवधि न्यूनतम 60 दिवस रही हो।

ब. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/बोर्ड इत्यादि द्वारा जारी कम्प्यूटर शिक्षा प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे।

स. यदि अभ्यर्थी द्वारा कक्षा 10वीं अथवा 12वीं अथवा उच्च अध्ययन के दौरान कम्प्यूटर का ज्ञान एक अनिवार्य विषय के रूप में अर्जित किया गया हो, तो उसे किसी अन्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

3.ख निरर्हतायें :- वह व्यक्ति,

अ. जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नि जीवित है, विवाह किया है, या

ब. जिसने अपने पति या पत्नि के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

4. आयु-सीमा :- अनारक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए सामान्य आयु-सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। **आवेदन करने की अंतिम दिनांक आयु-सीमा निर्धारित करने वाली निर्णायक तिथि मानी जायेगी।**

भारत सरकार के नियमानुसार निम्नलिखित वर्गों के आवेदकों को आयु-सीमा में रियायत प्रदान की जायेगी :-

अ. अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) :- इस वर्ग के आवेदकों को आयु-सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है।

ब. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) :- इस वर्ग के आवेदकों को आयु-सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की छूट का प्रावधान है।

स. **शारीरिक विकलांग (PH) :-** इस वर्ग के आवेदकों को आयु-सीमा में निम्नानुसार छूट देय है :-

अनारक्षित + शा.वि. : 10 वर्ष
अपिव + शा.वि. : 13 वर्ष
अजा/अजजा + शा.वि. : 15 वर्ष

उपरोक्त तीनों श्रेणियों के अन्तर्गत देय रियायत प्राप्त करने के लिए आवेदक को चयन के समय नियमानुसार सक्षम एवं सरकारी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा शारीरिक विकलांग कोटे में चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित पद के उपयुक्त निर्वहन की क्षमता के मद्देनजर निर्धारित होगा।

5. समय संबद्ध निरन्तरता भत्ता (Time Related Continuity Allowance : TRCA) :-

ग्रामीण डाक सेवकों को उनके कार्य-समय के आधार पर निम्नानुसार समय संबद्ध निरन्तरता भत्ता (Time Related Continuity Allowance : TRCA) प्रदान किया जाता है :-

क्रं.सं.	पद-श्रेणी	TRCA (in Rs.)	कार्य-समय
1.	ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल (GDS BPM)	2745-50-4245	3 घंटे तक
		3200-60-5000	3 घंटे से अधिक, परन्तु 3 घंटे 30 मिनट से कम
		3660-70-5760	4 घंटे तक
		4115-75-6365	4 घंटे से अधिक, परन्तु 4 घंटे 30 मिनट से कम
		4575-85-7125	4 घंटे 30 मिनट से अधिक, परन्तु 5 घंटे से कम
2.	ग्रामीण डाक सेवक डाक वितरक (GDS MD) / ग्रामीण डाक सेवक स्टाम्प-वैन्डर (GDS Stamp Vendor)	2665-50-4165	3 घंटे तक
		3360-60-5130	3 घंटे से अधिक, परन्तु 3 घंटे 45 मिनट तक
		4220-75-6470	3 घंटे 45 मिनट से अधिक, परन्तु 5 घंटे से कम
3.	ग्रामीण डाक सेवक डाक वाहक (GDS MC) / ग्रामीण डाक सेवक डाक पैकर (GDS Packer) / ग्रामीण डाक सेवक मैल-मैन (GDS MM)	2295-45-3695	3 घंटे तक
		2870-50-4370	3 घंटे से अधिक, परन्तु 3 घंटे 45 मिनट तक
		3665-65-5585	3 घंटे 45 मिनट से अधिक, परन्तु 5 घंटे से कम

उपरोक्त समय संबद्ध निरन्तरता भत्ता (Time Related Continuity Allowance : TRCA) के अतिरिक्त अन्य सभी देय भत्ते नियमानुसार प्रदान किये जायेंगे।

6. निवास-स्थान :- चयनित अभ्यर्थी (Selected candidate) को चयन के एक माह पश्चात्, किन्तु अनुबन्ध से पूर्व शाखा डाकपाल पद के लिए शाखा डाकघर ग्राम में तथा अन्य पदों हेतु सम्बन्धित शाखा डाकघर के वितरण क्षेत्र में निवास करना अनिवार्य है। विभागीय डाकघरों में चयनित अभ्यर्थियों के लिए डाकघर के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करना अनिवार्य होगा।

यदि कोई ग्रामीण डाक सेवक उक्त शर्तों का पालन नहीं करता है तो यह नियमों का उल्लंघन माना जायेगा तथा ग्रामीण डाक सेवक नियमावली (आचरण एवं अनुबन्ध) 2011 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य माना जायेगा, जिसके तहत् कर्मचारी को सेवा से निष्कासित भी किया जा सकता है।

7. अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु :-

अ. सामान्यतया एक ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी हेतु एक दिन में अधिकतम 5 घंटे का कार्य-समय निर्धारित है।

ब. ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित है।

स. आवेदक को ग्रामीण डाक सेवक पद पर चयनित होने के 30 दिनों के भीतर एक शपथ-पत्र देना होगा, जिसमें उसके द्वारा यह उल्लेख किया जाये कि ग्रामीण डाक सेवक के कार्य के अतिरिक्त भी उसके पास आय के अन्य स्त्रोत उपलब्ध हैं, जो कि उसके एवं परिवार की आजीविका हेतु पर्याप्त हैं।

द. एक ग्रामीण डाक सेवक का पद एवं कार्यस्थल स्थानान्तरणीय/परिवर्तनीय है।

य. ग्रामीण डाक सेवक पद पर चयन होने के उपरान्त आवेदक को चयनित श्रेणी के आधार पर प्रतिभूति राशि (Furnishing of Security) जमा करानी अनिवार्य होगी। शाखा डाकपाल पद हेतु प्रतिभूति राशि के तौर पर रू. 25000/- एवं अन्य श्रेणी हेतु रू. 10000/- विभाग द्वारा निर्धारित तरीके से देने होंगे।

र. एक ग्रामीण डाक सेवक हेतु विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं।

ल. आवेदक ग्रामीण डाक सेवक पद से सम्बन्धित अन्य आवश्यक जानकारी वेबसाईट www.rajpostexam.com से प्राप्त कर सकता है।

व. शाखा डाकपाल के पद पर चयनित अभ्यर्थी को अनुबन्ध से पूर्व शाखा डाकघर के लिए किराया रहित उपयुक्त भवन उपलब्ध कराना होगा।

श. ग्रामीण डाक सेवक किसी भी बीमा कम्पनी या अन्य वित्तीय संस्थान, जो डाक विभाग का व्यापारिक प्रतिस्पर्धी हो, का एजेन्ट नहीं होना चाहिए।

ष. सेवाहित में ग्रामीण डाक सेवक को अपने पद के साथ-साथ अन्य पदों का दायित्व भी सौंपा जा सकता है।

स. ग्रामीण डाक सेवक केन्द्रीय कर्मचारी के समकक्ष होने का दावा नहीं कर सकता है तथा संघ की सिविल सेवा में भी सम्मिलित नहीं है।

ह. आवेदक साईकिल चलाने में सक्षम होना चाहिए।

8. परीक्षा का स्वरूप :- भर्ती के लिए सभी पात्र आवेदकों की एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे (120 मिनट) रहेगी।

8.1 उक्त परीक्षा का प्रश्न-पत्र बहुविकल्पात्मक होगा तथा अधिकतम अंक (पूर्णांक) 100 निर्धारित हैं। परीक्षा में किसी प्रकार का ऋणात्मक अंकन नहीं किया जायेगा।

8.2 प्रश्न-पत्र मूलतः निम्नानुसार तीन भागों में विभक्त होगा :-

क्र.सं.	प्रश्न-पत्र भाग संख्या	पाठ्यक्रम	न्यूनतम अर्हक अंक		
			अना.	अ.पि.व.	अजा/अजजा
1	भाग-ए (गणित) - 50 प्रश्न	संख्या प्रणाली, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशत, अनुपात-समानुपात, लाभ-हानि, साधारण ब्याज, औसत, बट्टा, साझेदारी, समय एवं कार्य तथा समय एवं दूरी	20	18	16
2	भाग-बी-(i) (सामान्य अंग्रेजी) - 25 प्रश्न	Articles, Prepositions, Conjunctions, Tenses, Verbs, Synonyms & Antonyms, Vocabulary, Sentence structure, Proverbs, Phrases & Questions from a small unseen passage	10	09	08
3	भाग-बी-(ii) (क्षेत्रीय भाषा-हिन्दी) - 25 प्रश्न	मिश्र व संयुक्त वाक्य, वाक्य-रूपान्तरण, स्वर-संधि, अलंकार, लोकोक्तियां, अशुद्ध वाक्य संशोधन एवं अपठित गद्यांश	10	09	08

उपरोक्तानुसार प्रत्येक भाग में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंकों के अतिरिक्त तीनों भागों में कुल मिलाकर सकल रूप से (Aggregate) अनारक्षित अभ्यर्थी को 40, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 37 एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 33 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

8.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी पात्र आवेदकों, जो परीक्षा में सम्मिलित होने की सभी अर्हतायें पूर्ण करते हैं, की एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसकी वरीयता-सूची तैयार करते समय कक्षा-10 के प्राप्तांकों को किसी प्रकार की महत्ता नहीं दी जायेगी।

9. चयन का तरीका :- उपरोक्त वर्णित कॉलम 8 के अनुसार आयोजित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति इत्यादि श्रेणियों में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों की अनंतिम वरीयता सूची तैयार की जायेगी।

9.1 उपरोक्त वरीयता सूची में से प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों के 2 (दो) गुना अभ्यर्थियों से रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति-स्थल की प्राथमिकतायें प्राप्त की जायेंगी। यह प्राथमिकता अभ्यर्थी से ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्त की जा सकती हैं। इसकी सूचना अभ्यर्थी द्वारा प्रदत्त ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर पर भी प्रदान की जायेगी।

9.2 ऐसे आवेदक, जो वरीयता सूची में अर्जित स्थान के कारण इच्छित मण्डल प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर अन्य मण्डलों/स्थानों का भी आवंटन किया जा सकता है।

10. शुल्क :- अभ्यर्थियों को निम्नानुसार शुल्क जमा कराना होगा :-

अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (Unreserved and OBC)	**रूपये 500/-** (रूपये 100/- आवेदन शुल्क + रूपये 400/- परीक्षा-शुल्क)
अजा, अजजा वर्ग (SC and ST)	**रूपये 100/-** (मात्र आवेदन शुल्क)
सभी वर्गों के शा.वि. एवं महिलायें (PH and Female of all categories)	**रूपये 100/-** (मात्र आवेदन शुल्क)

नोट :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी वर्गों के शारीरिक विकलांग एवं महिला अभ्यर्थियों को मात्र 100/- रूपये आवेदन-शुल्क के तहत् जमा कराने होंगे। उक्त सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा-शुल्क नहीं लिया जायेगा। उक्त सभी शुल्क अप्रतिदेय हैं अर्थात् एक बार जमा करवाने पर वापिस नहीं लौटाये जायेंगे।

11. आवेदन कैसे करें :-

अ. आवेदनकर्ता को सर्वप्रथम वेबसाईट www.rajpostexam.com पर लॉग-इन करना चाहिए तथा वेबसाईट पर उपलब्ध समस्त दिशा-निर्देशों एवं अन्य जानकारियों का गहनता से अध्ययन करना चाहिए।

ब. आवेदन करने से पूर्व आवेदक को अधिसूचना, आवश्यक दिशा-निर्देशों इत्यादि मूलभूत जानकारियों को गहनतापूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए। आवेदक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह इस पद के लिए पात्र है अथवा नहीं।

स. एक आवेदक को एक पद हेतु एक ही आवेदन करना चाहिए। एक ही आवेदक द्वारा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम आवेदन ही मान्य होगा।

द. ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आवेदक को अपनी नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन्ड ईमेज, जो कि .JPG/JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए तथा उक्त ईमेज की साईज न्यूनतम 2 KB एवं अधिकतम 100 KB होनी चाहिए। ये ईमेज आवेदक को सभी वांछित जानकारियां भरने के पश्चात् अपलोड करनी होंगी।

य. आवेदक को फॉर्म भरते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके द्वारा भरी गई सभी जानकारियां पूर्णतः सत्य एवं अंतिम हों, क्योंकि एक बार सफलतापूर्वक आवेदन करने के पश्चात् किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

र. सफलतापूर्वक आवेदन करने के पश्चात् आवेदक को स्वतः कम्प्यूटर जनित एक अनंतिम अनन्य पंजीकरण क्रमांक (Unique Registration Number - URN) एवं पासवर्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। आवेदक को यह क्रमांक आगे की कार्यवाही के लिए सुरक्षित रखना होगा। उक्त पंजीकरण क्रमांक तथा पासवर्ड आवेदक के मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस पर भी भेजा जायेगा। उक्त पंजीकरण क्रमांक तथा पासवर्ड से ही आवेदक वेबसाईट पर लॉग-इन कर अपने फीस-चालान की कॉपी एवं भविष्य में प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकता है। आवेदक को फीस-चालान, जो कि तीन प्रतियों में होगा, का प्रिंट लेकर सम्बन्धित डाकघर में देय आवेदन-शुल्क जमा कराना होगा।

ल. आवेदनकर्ता को आवेदन करते समय सावधानीपूर्वक सभी वांछित जानकारियाँ सत्यतः प्रदान करनी चाहिए। विशेषतः परीक्षा-शहर के लिए प्राथमिकता प्रदान करते समय सावधानी बरती जाये, क्योंकि एक बार आवेदन करने के उपरान्त किसी भी प्रकार के परिवर्तन की याचिका स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट कर दिया जाता है कि यथासंभव आवेदकों को परीक्षा-शहर का आवंटन उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर ही किया जायेगा, परन्तु फिर भी परीक्षा-शहर का आवंटन पूर्णतया विभाग का विशेषाधिकार है।

12. आवेदन-शुल्क जमा कराने का माध्यम :-

आवेदन-शुल्क एवं परीक्षा-शुल्क का विवरण पूर्व के पैरा क्रं. 10 में वर्णित किया जा चुका है। आवेदक उक्त सभी देय शुल्क मात्र ई-पेमेन्ट सुविधा के माध्यम से ही जमा करवा सकता है। ई-पेमेन्ट सुविधायुक्त डाकघरों की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध है। अतः आवेदक को अपना फीस-चालान प्रिंट कर सूची में दिये नजदीकी ई-पेमेन्ट डाकघर में पहुंच कर निर्धारित शुल्क केवल भारतीय मुद्रा में नकद स्वरूप में जमा करवाना होगा। एक बार फीस जमा होने के उपरान्त आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। आवेदनकर्ता को शुल्क जमा करवाने के दो-तीन दिन पश्चात् वेबसाईट पर अपने पंजीकरण क्रमांक एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर अपने शुल्क जमा होने की स्थिति पता कर लेनी चाहिए तथा विसंगति की स्थिति में वेबसाईट पर उपलब्ध दूरभाष-नम्बर पर सम्पर्क करना चाहिए। यदि निर्धारित समयावधि में किसी आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन-शुल्क अथवा परीक्षा-शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो उसका आवेदन निरस्त करने योग्य माना जायेगा। **अंतिम तिथि (21.08.2015) को आवेदन करने वाले आवेदकों को फीस जमा करवाने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय देय होगा।**

13. सभी वांछित प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक को अपने पंजीकरण क्रमांक मय पासवर्ड एवं फीस जमा करवाने के उपरान्त मिले चालान की एक प्रति को सुरक्षित रखना चाहिए।

14. आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन मात्र ऑनलाईन-माध्यम से ही किया जाये, किसी प्रकार के कागजी-प्रारूप में विभाग को आवेदन-पत्र अथवा अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाईन आवेदन को विभाग द्वारा अनंतिम माना जायेगा जो कि आवेदक द्वारा भरी गई सभी जानकारियों एवं वांछित दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगा। आवेदन करते समय आवेदक को अंत में एक घोषणा (Declaration) प्रदान करनी होगी, जिसमें उल्लिखित है कि ''आवेदनकर्ता द्वारा दी गई समस्त जानकारियां आवेदनकर्ता के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है तथा विभाग की आवश्यकतानुसार उक्त समस्त जानकारियों की सत्यता एवं पूर्णता की पुष्टि मूल दस्तावेजों के माध्यम से की जा सकती है। यदि किसी भी स्तर पर कोई जानकारी झूठी अथवा गलत पाई जाती है तो मेरा आवेदन अथवा नियुक्ति रद्द की जा सकती है।'' सफलतापूर्वक आवेदन करने के लिए उक्त घोषणा के आगे उपलब्ध चेक-बॉक्स में आवेदनकर्ता को सही का निशान (√) लगाना होगा।

15. ऑनलाईन-आवेदन की अंतिम तिथि :-

ऑनलाईन आवेदन दिनांक **22.07.2015 प्रातः 07.00 बजे** से दिनांक **21.08.2015 रात्रि 12.00** बजे तक किये जा सकते हैं।

सहायक निदेशक (भर्ती)
कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल
राजस्थान परिमण्डल, जयपुर-07